न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 11/2021
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/113

अपीलाण्ट :—
कानाराम पुत्र श्री गुलाब जाति भाट, निवासी नया गांव पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. प्रियंका गोदारा पत्नी स्व. जितेन्द्र गोदारा, जाति जाट निवासी लक्ष्मी नगर पावटा बी रोड़ जोधपुर
2. मां सरस्वती शिक्षण संस्था जरिये सचिव श्री हरिकिशन गोदारा पुत्र श्री लादूराम गोदारा निवासी ग्राम पालासनी तहसील व जिला जोधपुर
3. जमना देवी स्व. लच्छाराम
4. अशोक कुमार पुत्र स्व. लच्छाराम
5. सज्जनराम पुत्र स्व. लच्छाराम
6. इन्द्रा पुत्री स्व. लच्छाराम
7. दरिया पुत्री स्व. लच्छाराम
8. कंचनी पुत्री लच्छाराम
9. नर्बदा पुत्री लच्छाराम निवासीगण नया गांव पाली
10. मोरिया देवी पत्नी श्री पन्नालाल
11. खीमाराम पुत्र श्री पन्नालाल
12. ओमप्रकाश पुत्र श्री पन्नालाल
13. किशनाराम पुत्र श्री पन्नालाल
14. गजेन्द्र पुत्र श्री पन्नालाल जी निवासीगण नया गांव पाली
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल
रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 10.03.2026

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के ग्राम पाली II पटवार हल्का पाली II के नामान्तरकरण संख्या 3347 दिनांक 28.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री पवन सिंघल वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित वक्त बहस उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेण्ट्स को जारी सम्मन तामील होने के बावजूद न्यायालय समय में—बार —बार आवाजे दिलाये जाने के बावजूद वक्त बहस अनुपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 468/1 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा ग्राम पाली द्वितीय में आई हुई है। अपीलार्थी कानाराम ने अपने हिस्से की कृषि भूमि का बंटवारा करने हेतु कभी भी तहसीलदार के समक्ष कोई प्रार्थना—पत्र पेश नहीं किया न ही ऐसे किसी तथाकथित प्रार्थना—पत्र पर अपने हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किये, न ही बंटवारा विलेख स्टाम्प पेपर पर उनके हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान लगा कर निष्पादित किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तस्दीक किये कूट व फर्जी बंटवारा आदेश जारी कर दिया व उक्त बंटवारे आदेश की पालना में जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। जब बंटवारा आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है तो उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण तो स्वतः ही खारिज योग्य है। अतः जैर नामान्तरकरण कूट व फर्जी होने से खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 05 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण सभी पक्षकारों के आपसी सहमति के बंटवारे आदेश की पालना में नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है। सभी पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैर आराजी के संबंध में आपसी सहमति के बंटवारे के संबंध में अनापत्ति व उक्त संबंध में अपना शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने सभी को तस्दीक किया, जिसके उपरान्त जैर विवादित बंटवारा आदेश पारित हुआ एवं उसकी पालना में जैर

जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जैर कथित बंटवारा आदेश के पक्षकारों ने ही उक्त कथित बंटवारा आदेश के विरूद्ध एक अपील 10/2020 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने उक्त आपसी सहमति बंटवारा आदेश के विरूद्ध अपील को दिनांक 25.02.2021 को खारिज कर दी जिसमें स्वयं अपीलाण्ट भी पक्षकार संयोजित थे जिसमें न्यायालय हाजा ने जैर विवादित सहमति के बंटवारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मानी है। अतः जैर विवादित नामान्तरकरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः जैर अपील सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने पर प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि अपीलार्थी कानाराम द्वारा अपनी शामलाती कृषि भूमि के बंटवारे के संबंध में कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही किसी कथित प्रार्थना–पत्र अथवा बंटवारा विलेख पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान किये गये। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि बंटवारा विलेख स्टाम्प पेपर पर उनके हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान लगाकर निष्पादित नहीं किया गया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उचित सत्यापन के कथित रूप से कूट एवं फर्जी बंटवारा आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त बंटवारा आदेश की पालना में जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर लिया गया। अतः जब मूल बंटवारा आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है, तो उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश भी स्वतः निरस्त किये जाने योग्य है। इसके विपरीत, विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जैर नामान्तरकरण सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से पारित बंटवारा आदेश की विधिसम्मत पालना में ही स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया कि सभी संबंधित पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष जैर आराजी के संबंध में आपसी सहमति से बंटवारे के संबंध में अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की तथा इस संबंध में शपथ–पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों का सत्यापन (तस्दीक) करने के उपरान्त ही विवादित बंटवारा आदेश पारित किया गया तथा उसी की पालना में जैर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण विधिवत स्वीकृत किया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि उक्त बंटवारा आदेश के विरूद्ध स्वयं पक्षकारों द्वारा ही अपील संख्या 10/2020 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दिनांक 25.02.2021 को इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया गया था। उस अपील में वर्तमान अपीलार्थी भी बतौर पक्षकार संयोजित थे। उस निर्णय में न्यायालय द्वारा उक्त आपसी सहमति से किये गये बंटवारे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई थी। अतः जब बंटवारा आदेश को न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में सही माना जा चुका है, तब उसकी पालना में स्वीकृत जैर विवादित नामान्तरकरण को फर्जी या अवैध नहीं माना जा सकता।

लिहाजा हमारे द्वारा किये गये उपर्युक्त प्रेक्षणों के आधार अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत ग्राम पाली II के नामान्तरकरण संख्या 3347 दिनांक 28.10.2020 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली